श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक – पंजी0 / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/145

प्रार्थी भंवरलाल पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी गांव 4सी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र,मूल रसीद, वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि मेरे पिता धन्नाराम पुत्र पूरनराम जाति बावरी निवासी 4सी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 17.11.2014 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 16.01.2017 को हो चुका है।, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान खेताराम पुत्र कुम्भराम एवं माया बाई पुत्री हनुमान प्रसाद ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री भजन सिंह श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

<u>जिला पंजीयक महोदय</u>